

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल 462004

क्रमांक- 1969 / 205 / आउशि / बजट / 2018
प्रति,

भोपाल, दिनांक 28/09/18

प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय,
(नीचे दर्शाये अनुसार)
मध्यप्रदेश

विषय- योजना क्रमांक 5551 आधुनिक तकनीक से शिक्षण व्यवस्था योजना अन्तर्गत बजट आबंटन
-वित्तीय वर्ष 2018-19

उपरोक्त विषय में योजना क्रमांक 5551-आधुनिक तकनीक से शिक्षण व्यवस्था अन्तर्गत निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के समक्ष अंकित अनुसार बजट आबंटन जारी किया जाता है :-

S. No.	Name of College	Place	District	College Letter No and Date	Allotment Amount Rs.	Segment Code
1	Govt College	Badod	Agarmalwa	32/6.9.18	167000	0101
2	Govt College	soyatkala	Agarmalwa	38/6.9.18	200000	0101
3	Govt College	Pachamarhi	Hoshangabad	231/22.9.18	250000	0101
4	Govt College	Khilchipur	Rajgarh	395/7.9.18	300000	0101
5	Govt. College	Raipurkarch uilan	Rewa	158/18.9.18	400000	0101
6	Govt College	Bandri	Sagar	Lead 562/23.09.18	300000	0101
7	Govt College	Naryawali	Sagar	Lead 568/23.09.18	300000	0101
8	Govt College	Khimlasa	Sagar	Lead 566/23.09.18	300000	0101
9	Govt College	Gopalpur	Sehore	45/15.9.018	250000	0101
	Total				2467000	

(2) उपरोक्त राशि का आबंटन मांग के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध बजट के अनुसार अनुपातिक रूप से किया गया है।

(3) उपरोक्त आबंटित राशि का आहरण वित्तीय वर्ष 2018-19 में महाविद्यालय के नाम के समक्ष अंकित सेगमेंट कोड अन्तर्गत निम्नलिखित बजट शीर्ष में विकलनीय होगा :-

सेगमेंट कोड	बजट शीर्ष
0101- उच्च शिक्षा (सामान्य)	44-2202-03-102-0101-5551-42-007

(4) उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 से योजना क्रमांक 8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य योजना को योजना क्रमांक 5551-आधुनिक तकनीकी से शिक्षण व्यवस्था योजना में समाहित (मर्ज) किया गया है। अतः उपरोक्त आवंटित राशि विद्यार्थियों के लिए आधुनिक तकनीकी से शिक्षण व्यवस्था हेतु स्मार्ट क्लास के लिए के लिए आवश्यक सामग्री तथा कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, ब्राड बैंड कनेक्शन इत्यादि के लिए प्राथमिकता अनुसार किया जावे।

(5) सामग्री क्रय एवं राशि के व्यय/भुगतान करते समय मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जारी अद्यतन निर्देशों एवं म.प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

(6) सामग्री का क्रय एवं राशि का व्यय/भुगतान प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत, अद्यतन म0प्र0 भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 का पालन सुनिश्चित किया जावे।

(7) क्रय सामग्री एवं व्यय राशि का विधिवत अभिलेख संधारण किया जावे एवं गुणवत्ता आदि का परीक्षण कर प्रमाण पत्र अंकित किया जावे तथा उपयोग की गई राशि का का पूर्ण विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये।

(8) अगवत हो कि वित्त विभाग द्वारा व्यय हेतु मासिक एवं त्रैमासिक सीमा निर्धारित की गई है। अतः आवंटित राशि का नियमानुसार यथाशीघ्र तत्काल आहरण एवं भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे ताकि राशि लैप्स होने की स्थिति निर्मित न हो सके।

(9) मितव्ययता का ध्यान रखें एवं किसी भी मद में अनावश्यक व्यय नहीं किया जावे।

(10) किसी भी स्थिति में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाए।

(11) किसी भी प्रकार के अनियमित व्यय/भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित प्राधिकारी की होगी।

“आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित”

अपर संचालक (प्रशासन)

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक-28/9/18

पृ0क्र0- 1970 / 205 / बजट / 2018

प्रतिलिपि-

1. विशेष सहायक मान. मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल
2. अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
4. समस्त अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, योजना शाखा, कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा भोपाल।
6. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आई.टी.सेल कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा भोपाल
7. समस्त संबंधित कोषालय/उपकोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।

अपर संचालक (प्रशासन)

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश